भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2317
गुरुवार, 13 मार्च, 2025 (22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

प्रयोक्ता विकास शुल्क

2317. प्रो. सौगत राय:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देशभर में विमानपत्तन संचालकों द्वारा यात्रियों से प्रयोक्ता विकास शुल्क के रूप में भारी धनराशि वसूली जाती है;
(ख) यदि हां, तो लिए गए शुल्क का विमानपत्तनवार और प्रचालकवार ब्यौरा क्या है;
(ग) प्रयोक्ता विकास शुल्क निर्धारित करने हेतु मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्रचालकों ने इस संबंध में विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) से पूर्व आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या एईआरए/सरकार ने उड़ानों में सीटों के चयन के लिए टिकट प्रभारों के अलावा अतिरिक्त प्रभार वसूल करने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो ऐसे अवैध प्रभारों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>
<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)</u>

(क) से (ग) **:** भारत सरकार ने ऐरा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) नामक एक स्वतंत्र आर्थिक विनियामक की स्थापना की है। ऐरा अन्य बातों के साथ-साथ वैमानिक परिसंपत्तियों के लिए निवेश पर प्रतिफल, परिचालन व्यय, मूल्यह्रास, कर आदि जैसे कारकों पर विचार करके सभी प्रमुख हवाईअड्डों के वैमानिक प्रभार जैसे लैंडिंग, पार्किंग और प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) का निर्धारण करता है। ऐरा का उद्देश्य सेवा प्रदाता और अंतिम उपयोगकर्ता के हितों के बीच इष्टतम संतुलन बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि हवाईअड्डा प्रचालक समग्र रूप से हवाईअड्डा प्रचालकों, एयरलाइनों और यात्रियों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनी प्रावधानों और टैरिफ दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जोखिम प्रोफाइल वाले निवेश पर उचित प्रतिफल के साथ हवाईअड्डे का रखरखाव और प्रचालन करता हो।

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रमुख हवाईअड्डों के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित यूडीएफ अनुलग्नक में दिया गया है।

गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए, यूडीएफ को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इन्हें तीन श्रेणियों अर्थात् क्लस्टर-1 (प्रति वर्ष 1 मिलियन यात्री (एमपीपीए) थ्रूपुट), क्लस्टर-2 (0.1 एमपीपीए से 1 एमपीपीए तक यात्री थ्रूपुट) और क्लस्टर-3 (0.1 एमपीपीए से कम

यात्री थ्रूपुट) में वर्गीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर यूडीएफ का विवरण इस प्रकार है:

(रु.प्रति यात्री)

श्रेणी	यात्री का प्रकार	घरेलू/अंतरराष्ट्रीय
क्लस्टर-1	एम्बार्किंग	709
क्लस्टर-2	एम्बार्किंग	625
क्लस्टर-3	एम्बार्किंग	184

(घ): वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर ऐरा द्वारा किया जाता है, जो नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित होने के बाद प्रभावी होता है।

(ङ) और (च): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वर्ष 2024 का हवाई परिवहन परिपत्र (एटीसी) 01 जारी किया है, जिसका शीर्षक है "अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा सेवाओं और शुल्कों को अलग (अनबंडल) करना'' जिसके अनुसार, पसंदीदा सीट जैसी कुछ सेवाओं को अलग करने और यात्रियों से अलग से प्रभार लेने की अनुमति दी गई है। ऐसी अलग की गई सेवाएँ एयरलाइनों द्वारा "ऑप्ट-इन" आधार पर प्रदान की जाती हैं और ये अनिवार्य स्वरूप की नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे यात्रियों जिन्होंने अनुसूचित प्रस्थान से पूर्व वेब-चेक-इन के लिए किसी सीट का चयन नहीं किया है, के लिए स्वचालित सीट आवंटन का भी प्रावधान है, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें वेब-चेक-इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोई शुल्क नहीं वसूल रही हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 13.03.2025 के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 2317 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

<u>प्रमुख हवाईअड्डों पर लगाया गया यूडीएफ (वित्त वर्ष 2024-25)</u>

(रुपए प्रति यात्री)

			वित्त वर्ष 2024-25	
क्र.सं.	हवाईअड्डे का नाम	यात्री	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
1	दिल्ली	एम्बार्किंग	129	129
2	मुंबई	एम्बार्किंग	-	187
3	बैंगलुरु	एम्बार्किंग	550	1500
4	हैदराबाद	एम्बार्किंग	750	1500
5	अहमदाबाद	एम्बार्किंग	450	880
6	अमृतसर	एम्बार्किंग	500	1300
7	भुवनेश्वर	एम्बार्किंग	750	820
8	कालीकट	एम्बार्किंग	430	720
9	चंड़ीगढ़	एम्बार्किंग	725	1550
10	चेन्नै	एम्बार्किंग	395	615
11	कोचीन	एम्बार्किंग	270	570
12	कोयम्बटूर	एम्बार्किंग	550	710
13	गोवा-डाबोलिम	एम्बार्किंग	495	825
14	गुवाहाटी	एम्बार्किंग	555	770
		डिसएम्बार्किंग	235	330
15	इंदौर	एम्बार्किंग	600	650
16	जयपुर	एम्बार्किंग	805	980
		डिसएम्बार्किंग	345	420
17	कन्नूर	एम्बार्किंग	750	1680
18	कोलकाता	एम्बार्किंग	628	1509
19	लखनऊ	एम्बार्किंग	850	1400
20	मैंगलौर	एम्बार्किंग	700	1050
		डिसएम्बार्किंग	300	450
21	मोपा-गोवा	एम्बार्किंग	820	1120
		डिसएम्बार्किंग	350	480
22	पटना	एम्बार्किंग	660	-
23	पुणे	एम्बार्किंग	387	745
24	रायपुर	एम्बार्किंग	500	-
25	शिरडी	एम्बार्किंग	630	-
		डिसएम्बार्किंग	270	-
26	श्रीनगर	एम्बार्किंग	960	1100

27	त्रिवेन्द्रम	एम्बार्किंग	770	1540
		डिसएम्बार्किंग	330	660
28	तिरुचिरापल्ली	एम्बार्किंग	600	800
29	वाराणसी	एम्बार्किंग	400	1300
30	पोर्टब्लेयर	एम्बार्किंग	709	709
31	देहरादून	एम्बार्किंग	709	709

******